एफ. 2.2(3)/2016-सा.II

संघ लोक सेवा आयोग

सामान्य-II अनुभाग

विषय:-संघ लोक सेवा आयोग में ऑरेकल डेटा बेस के रखरखाव हेतु निविदाएं।

ऑरेकल डेटाबेस के प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित फर्मों से, अनुबंध-I में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के अनुसार, मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्य को निष्पादित करने हेतु इच्छुक फर्में, अपनी दर-सूची (कोटेशन) निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार, दो प्रतियों में अवर सचिव (सा.), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली को सभी कार्य दिवसों में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। कोटेशन जमा करने की अंतिम तारीख 29.08.2016 है। बोलीदाताओं को बोलियों के साथ टेंडर दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करनी होगी । तीन वर्षों के लिए टेंडर का अनुमानित मूल्य 1,94,000/- रूपए (एक लाख चौरानवे हजार रूपए मात्र) है।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें:

1. टेंडर, नीचे दिए गए पैरा-24 में दिए गए विवरण के अनुसार 29.08.2016 को 3.00 बजे अपराह्न तक श्री आर.के. दीक्षित, अवर सचिव (सा.) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. जमा धरोहर राशि के रूप में 9,700 रू. (नौ हजार सात सौ रूपए मात्र) की राशि सचिव, सं.लो.से.आ. को दिल्ली/नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में जमा की जाएगी जिसके न होने पर निविदा तुरंत अस्वीकार कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जमा धरोहर राशि को जमा किए जाने में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

3. **विनिर्देश:** संलग्न कार्य क्षेत्र (संलग्नक-I) के अनुसार प्रस्तुत की जानी वाली बोलियां पूरी तरह से कार्य विवरण के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

4. **डेटाबेस प्रबंधक (डी बी ए) की पात्रता:** केवल ऑरेकल द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता को ही कार्य क्षेत्र के अनुसार नियमित उत्पाद के लिए "कॉल आधार" पर डेटाबेस प्रबंधक नियुक्त किया जाना अपेक्षित है। डी बी ए को संगत क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5. **भुगतान की शर्तें:** डी बी ए द्वारा वास्तव में सुनी गई "कॉल्स" के लिए इस कार्यालय के सूचना प्रणाली (आई एस) स्कंध द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद तिमाही आधार पर भुगतान।

6. **निष्पादन प्रतिभूति:** सफल बोलीदाता, आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) की प्राप्ति के दस दिन के अंदर, बोली की लागत की 10 प्रतिशत की राशि, निष्पादन प्रतिभूति के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश / बैंक गारंटी के रूप में जमा कराएगा । यह राशि संविदा के अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी भी बकाया राशि के समायोजन के उपरांत यदि कोई हो, संविदा के पूरा होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

7. अर्हताओं और अनुभव संबंधी सभी दावे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए।

8. बोली की प्रत्येक प्रति एक सम्पूर्ण दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए और अधिमानत: खंड के रूप में जिल्दबंद होनी चाहिए। प्रत्येक प्रति अलग-अलग जिल्दबंद होनी चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ का संख्यांकन समुचित रूप से किया जाना चाहिए।

9. किसी भी टेंडर के स्वीकार किए जाने से पहले, कार्य क्षेत्र को संशोधित करने का अधिकार सं.लो.से.आ. के पास सुरक्षित है।

10. अधूरी बोलियों, बोलियों को खोले जाने के बाद उनमें किए गए संशोधनों और परिवर्धनों तथा देर से प्राप्त बोलियों अर्थात् निर्धारित समय और तारीख के बाद प्राप्त बोलियों पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष के लिए उद्धृत की गई मूल्य संविदा अवधि तक स्थिर रहेंगी । कर यदि कोई हो, को अलग से दर्शाया जाएगा, ऐसा न करने पर, बोलीदाता द्वारा उद्धृत किए गए दरों में सभी करों को शामिल माना जाएगा।

12. वेंडर "कॉल" की सूचना मिलने के बाद कार्य का निष्पादन पूरी तरह से कार्य क्षेत्र के अनुसार ही करेगा। वेंडर को "कॉल" प्राप्ति के 4 से 6 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा वेंडर को उस तिमाही-विशेष में देय राशि में से 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में काट ली जाएगी। प्रयोक्ता द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद ही "काल" को पूरा हुआ माना जाएगा कि बताई गई समस्या को दूर कर दिया गया है।

13. डी बी के पास ऑरेकल आर डी बी एम एस के अनुरक्षण एवं फाईन ट्यूनिंग में न्यूनतम (03) वर्षों के अनुभव सहित न्यूनमत बी.ई / बी टेक / एम सी ए होने चाहिए । डी बी ए को डेटाबेस प्रशासन के लिए ऑरेकल प्रमाणित व्यावसायिक (ओसीपी) होने चाहिए ।

14. दरें, ऑरेकल डेटाबेस और इसके सम्बद्ध उत्पादों से संबंधित नियमित निवारक / सुधारात्मक कॉलों के लिए कॉल आधार पर सेवाओं के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।

15. संविदा के पूर्ण हो जाने की स्थिति में संविदा के संबंध में इसके अंतर्गत या इससे बाहर उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद अथवा मतभेदों को सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

16. निविदाकर्ताओं के लिए मुद्रित निबंधन और शर्तों पर निविदाओं के भाग के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा आमंत्रण के लिए लागू संविदा निबंधनों और शर्तें यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा स्वीकार्य नहीं है तो उसे अपनी निविदा में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के पास उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे विचलन के साथ निविदा पर विचार करने से इसकी अस्वीकृति के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

17. काल्पनिक तथा सशर्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

18. **<u>आयकर:</u>** यथालागू टेंडर बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य। निविदाकर्ताओं को अपना स्थायी आयकर खाता सं. (पैन) प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वे आयकर देते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए।

"प्रमाणित किया जाता है कि मुझे / हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान आय / सम्पत्ति छुपाने के लिए दंडित / अभियोजित नहीं किया गया है।"

19. सचिव संघ लोक सेवा आयोग किसी या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अवीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

20. बड़े क्लाइंटस की सूची जिनमें सरकारी विभाग/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जैसे आई आई टी/लोक सेवा आयोग या प्रतिष्ठित निजी कम्पनियों का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में दर्शाना होगा जो फर्म की तकनीकी क्षमता को निर्धारित करने का मानदंड माना जाएगा।

21. बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना चाहिए कि उसे निविदा के सभी निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं।

22. 2014-2015 सहित विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी तथा तुलन पत्रों की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जाएगी।

23. संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग संविदा को आगामी 6 माह की अवधि के लिए इन्हीं निबंधनों, शर्तों एवं दरों पर बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

24. बोलीदाता को नीचे दिए गए अनुसार अपनी बोली श्री आर.के. दीक्षित, अवर सचिव (सा.), संघ लोक सेवा आयोग को संबोधित दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में 29.08.2016 को 3.00 बजे अप. तक इस कार्यालय के स्वागत कक्ष (गेट सी) के साथ रखे निविदा बॉक्स में डालनी होगी।

(i) पहले सीलबंद लिफाफे में मोटे अक्षरों में "ऑरेकल डेटा बेस के रखरखाव हेतु तकनीकी बोली" लिखा हो जिसमें निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए:

क) सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के माध्यम से 9,700/- (नौ हजार सात सौ रूपए मात्र) की राशि जमा धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।

ख) पैन कार्ड की प्रति ।

ग) वैट / टिन पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ।

घ) अनुबंध-I में यथानिर्दिष्ट "कार्यक्षेत्र" की समझ की पुष्टि।

ङ) फर्म द्वारा समझे गए कार्यक्षेत्र (Scope of Work) को वर्णित करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी ।

च) कार्य आदेश की प्रतियों सहित सरकारी विभागों / प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं / लोक सेवा आयोगों या प्रतिष्ठित निजी फर्मों की सूची जहां निविदाकर्ता ने डी बी ए सेवा संबंधी कार्य निष्पादित किया हो ।

(छ) वर्ष 2014-15 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की फर्म की आयकर विवरणी की प्रतियां।

(ज) वर्ष 2014-15 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की फर्म लेखा परीखा की गई तुलन पत्रों की प्रतियां ।

(झ) अनुबंध-III एवं IV में दिए गए प्रमाण पत्र जो विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई हो, की प्रतियां ।

उपर्युक्त संदर्भित (क) से (झ) तक के सभी दस्तावेजों को एक लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करना चाहिए और दस्तावेज की सभी मदें अनुबद्ध तथा संख्यांकित होनी चाहिए।

(ii) **दूसरे मुहरबंद लिफाफे में मोटे अक्षरों में "ऑरेकल डाटा बेस के रखरखाव हेतु वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होगी:**

(क) कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य को निष्पदित करने के लिए वित्तीय बोली मूल्य अनुबंध- V में मूल्य अनुसूची के लिए दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रथम वर्ष के लिए कर को अलग से दर्शना जाना चाहिए अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों (कोटेड दर) कर सहित है । करो के भुगतान के लिए किसी भी अनुवर्ती अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए कर

का निर्धारण वास्तविक आधार पर किया जाएगा जो समर्थित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है ।

(ख) वित्तीय बोली के साथ जमा धरोहर राशि की प्रति भी प्रस्तुत की जाए ।

25. एल-1 बोलीदाता का निर्णय एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) के आधार पर किया जाएगा । बट्टे की दर 10 % वार्षिक रूप में लिया जाएगा । चूंकि बट्टे की दर पूर्व प्रकटित है एन पी वी की गणना का वित्तीय बोली के प्रोफार्मा में दिया गया है ।

26. बोलीदाता को यह शपथपत्र देना होगा कि उसने किसी मंत्रालय/सरकारी संगठन में सं.लो.से.आ. से कम दरें उद्धृत नहीं की हैं। यह शपथपत्र अनुबंध-IV में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

तकनीकी बोली, जमा करने की अंतिम तारीख अर्थात् 29.08.2016 को 3.00 बजे अपराह्न को अधोहस्ताक्षरी के कमरे में वे बोलीदाता जो इसमें उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव(सामा.II)

कार्य का क्षेत्र

1. परिचय

1.1 संवैधानिक निकाय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है । वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं तथा रक्षा सेवाओं के पदों पर क्रमश: 9 तथा 4 परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार द्वारा भर्ती करता है। संघ लोक सेवा आयोग में लगभग 650 की संख्या में डेस्कटॉप तथा 18 की संख्या में छोटे एल ए एन (लेन) हैं। प्रधान परीक्षा से संबंधित डेटा प्री और पोस्ट परीक्षा के सर्वर में होते हैं। डेटा ऑरेकल पर आधारित है। ऑरेकल का वर्जन 9i है और सर्वर विन्डो 2003/ 2008 आर-2 प्लेटफार्म पर चालित है। प्री एवं पोस्ट परीक्षा ग्रुपों के लिए अपेक्षित एप्लीकेशन साफ्टवेयर मेसर्स सी एम सी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। पैकेज फ्रंट इंड पर विज़ुअल बेसिक पर विकसित किया गया है और नेटवर्क इन्वायरमेंट के अधीन है। डेटाबेस से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए तथा भविष्य में किए अद्यतनीकरण की योजना के लिए सं.लो.से.आ. ने अब ऑरेकल 9i या अद्यतन किए गए उच्चतर वर्जन के लिए डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करने का निर्णय लिया है जो भविष्य के लिए योजना को समन्वित करेंगे और समुचित एवं संगठित तरीके से ऑरेकल डेटा बेस के विन्यास, विकास एवं कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को प्री एवं पोस्ट परीक्षा सर्वरों और अन्य सर्वरों जैसे डी पी शाखा आदि में करेंगे ।

डी बी ए की जिम्मेदारियां

1. ऑरेकल डेटा बेस का रख-रखाव
2. ऑन साईट डी बी ए द्वारा निष्पादित किए जाने वाले दैनिक गतिविधियों के लिए दैनिक प्रचालन जांच सूची निम्नलिखित है:-

(i) डिस्क स्पेस की जांच

(ii) एलर्ट लॉग की जांच

(iii) ट्रेस फाइल (यदि कोई हो) की जांच

(iv) हिट अनुपात की जांच

(v) टेबल स्पेस साईज (यूजेज) की जांच

(vi) लॉक की जांच

3. डेटाबेस प्रवजनन प्रक्रिया दस्तावेज
4. पैच/बग फिक्स इंस्टालेशन हेल्प
5. संसाधन का उपयोग
6. बैक अप एवं रिकवरी स्ट्रेटजी दस्तावेज -(एक्सपोर्ट/नॉट)
7. डेटाबेस मॉनिटरी / ट्रबल शूटिंग
8. डेटाबेस क्रैश रिकवरी
9. डेटाबेस पुनर्संगठन
10. दौरे पर दैनिक प्रकियाओं की लेखा परीक्षा
11. दौरे पर डेटाबेस सामान्य स्वास्थ्य जांच
12. डेटाबेस सुरक्षा
13. एस जी ए साईज की टयूनिंग
14. टॉप 10 प्रश्न
15. पुनर्सूची गतिविधि
16. आर डी ए रिपोर्ट लेना
17. सूची पुनर्निर्माण / असंतुलित सूची की जांच
18. योजना / टेबल विश्लेषण
19. संबंधित प्रयोक्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले।

<u>अपेक्षाएं</u>

डी बी ए प्रतिमाह एक निवारक / सुधारात्मक कॉल को देखेंगे। वार्षिक संविदा अवधि के दौरान डी बी ए द्वारा देखी गई कुल न्यूनतम कॉल की संख्या 12 होगी । तथापि यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा और अधिक संख्या में सुधारात्मक कॉल अपेक्षित है तो इसे यथा अनुमोदित उसी दर पर डी बी ए द्वारा देखा जाएगा।

निवारक कॉलों के लिए डी बी ए को सभी सर्वरों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य जांच को निष्पादित करना अपेक्षित होगा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव एवं की गई कार्रवाई सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सुधारात्मक कॉलों के लिए, डी बी ए डेटा बेस में समस्या की पहचान करेगा तथा प्रयोक्ता अर्थात सं.लो.से.आ. की संतुष्टि तक आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने के बाद ही कॉल को पूरा माना जाएगा।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव(सामा.II)

अनुबंध-II

जांच सूची

क्रम सं.	विवरण	हॉ / नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या जमा धरोहर राशि संलग्न की गई है ।		
2.	क्या पैन कार्ड की प्रति संलग्न है ।		
3.	क्या वैट / टिन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किए गए है ।		
4.	कार्य आदेश की प्रतियों सहित सरकारी विभागों जहां फर्म ने डी बी ए सेवाएं निष्पादित की है या निष्पादित कर रही है की प्रतियां संलग्न की गई है।		
5.	क्या वर्ष 2014-15 सहित विगत तीन वर्षों का लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्र एवं आयकर विवरणी संलग्न है ।		
6.	क्या अनुबंध--III और अनुबंध-IV के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित एवं संलग्न किए गए हैं ।		

(प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता)
फर्म का नाम एवं पता
दूरभाष सं. / मोबाइल सं. / फैक्स सं.

अनुबंध-III

संघ लोक सेवा आयोग में ऑरेकल डेटाबेस के रख-रखाव के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस।

प्रमाणपत्र

आपके दिनांक------------------------------- के निविदा आमंत्रण नोटिस के प्रत्युत्तर में हमने ---(फर्म का नाम एवं पता) संघ लोक सेवा आयोग में ऑरेकल डेटाबेस के रख-रखाव के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित, हम एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि मुझे / हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है।
3. कि हम नि.आ.सू. में विनिर्दिष्ट कार्य के क्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली कार्यक्षेत्र के अनुसार है।
4. कि हम लोगों द्वारा समझे गए कार्य के क्षेत्र को वर्णित करते हुए विस्तृत टिप्पणी संलग्न की गई है।
5. कि डेटा बेस प्रशासन के लिए हम लोगों की डी बी ए ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल (ओसीपी) है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध-IV

संघ लोक सेवा आयोग में ऑरेकल डेटाबेस के रख-रखाव के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

शपथपत्र

हम लोग .... (फर्म का नाम एवं पता) संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक .... की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में निम्नानुसार प्रमाणित करते है :-

"इस मद के लिए उद्धृत दरें किसी भी अन्य मंत्रालय/सरकारी संगठन के लिए उद्धृत दर से अधिक नहीं हैं।"

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड़ की मुहर सहित
फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

मूल्य अनुसूची

कार्य का विवरण (1)	प्रति दौरे का प्रभार (2)			निविदा को फ्लोट करने के दिन से यथा लागू कर (3)
	प्रथम वर्ष (वाई 1)	द्वितीय वर्ष (वाई 2)	तृतीय वर्ष (वाई 3)	
सं. लो. से. आ. में ऑरेकल डेटा बेस का रख-रखाव				

टिप्पणी 1: कर, यदि कोई हो, को अलग से उद्धृत की जाएगी इसके न होने पर उद्धृत दरों में कर को शामिल माना जाएगा और इसके अलावा इस कार्यालय द्वारा शामिल करों के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

डिस्काउटिंग की दर वर्षवार 10 % वार्षिक के हिसाब से उद्धृत की जाएगी । अत:, एन पी वी के आधार पर एल-1 का निर्णय लिया जाएगा जिसका परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

एन पी वी - {वाई 1+ वाई 2/ (1+0.1) + वाई 3/ $(1+0.1)^2$ }

एन पी वी - निवल वर्तमान मूल्य

वाई 1- प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत दर

वाई 2- द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत दर

वाई 3- तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत दर

उदाहरण के लिए यदि प्रथम वर्ष (वाई 1) के लिए+ उद्धृत दर 1000 है, दूसरे वर्ष (वाई 2) के लिए उद्धृत दर 1200 और तृतीय वर्ष (वाई 3) के लिए उद्धृत दर 1400 है तो एन पी वी निम्नानुसार होगा :-

एन पी वी = 1000+(1200/1.1) + (1400/1.21)

= 1000+1090.91+ 1157.02

= 3247.93

इस प्रकार, एन पी वी 3247.93/- रू. है । एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी के आधार पर होगा। तथापि एल-1 वेंडर को भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत दर पर वर्षवार आधार पर किया जाएगा।

(आर. के दीक्षित)

अवर सचिव (सामा.-II)